(104)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Ae-301- R 5259-II/16

रामजी पटेल तनय मथुरा पटेल उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम पदेहरा तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 —————————— आवेदक

बनाम

1— मल्लू पिता तेजमणिकुर्मी सा0 पटेहरा तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

2— अवधेश पिता रामशिरोमणि कुर्मी सा0 पटेहरा तह0 हनुमना जिला रीवा

3— शासन म0प्र0 ————— अनावेदकगण

श्री अजय पाण्डेय एड. द्वारा पेश। 13.6.16
13.6.16

आवेदन पत्र वावत पुर्नस्थापित किए जाने प्रकरण कमांक निगरानी /1591/3 /2013 अदम पैरवी मे खारिज दिनांक 16—7—2015

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3)म0प्र0भू0रा0सं91959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है —

1— यह कि उक्त उनमान निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय मे बिचाराधीन था जो दिनांक 16—7—15 को सुनवाई हेतु नियत था ।किन्तु निगरानी कर्ता या उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित के कारण अदम पैरवी मे निरस्त हो गया।

2— यह कि उक्त प्रकरण मे निगरानी कर्ता द्वारा पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था तथा अधिवक्ता महोदय के द्वारा ही प्रकरण की पैरवी की जा रही थी तथा अधिवक्ता महोदय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थी को उपस्थित होने हेतु सूचना देने हेतु कहा गया था किन्तु कोई सूचना नही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

रेस्टोर्ड

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5259 III/16 जिला रीवा

रामजी पटेल / मल्लू कुर्मी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-17	1- आवेदक की ओर से श्री अजय पाण्डेय अभि. उप.। 2- आवेदक अभिभाषक को सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35(3) के तहत प्रकरण क्रमांक R. 1591-तीन/13 अदम पैरवी दिनांक 16.7.15 को पुनर्स्थापित हेतु आवेदन पेश किया गया। विचारोपरांत प्रकरण क्रमांक R. 1951-तीन/13 को पुन. नम्बर में लिया जाता है तदनुसार प्रकरण चालू किया जावे। 3- प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। [signature] सदस्य	